माउँटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- 24 मार्च, 1947 को लार्ड माँउटबेटन ने अपना पदभार सँभाला।
- भारतीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर 3 जून, 1947 को एक योजना प्रकाशित की 'जिसे माउँटबेटन-योजना' कहते हैं।

माउँटबेटन योजना

संक्षिप्त बिंदुवार जानकारी

प्रमुख बातें :-

(i) ब्रिटिश सरकार भारत का प्रशासन किसी ऐसी सरकार को सौंप देना चाहती है, जिसका निर्माण जनता की इच्छा से हुआ हो।

(ii) ब्रिटिश सरकार वर्तमान संविधान सभा के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहती है।

(iii) वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं होगा जहाँ उसे स्वीकार न किया गया हो।

(iv) सिंध की विधानसभा को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जायेगा।

(v) उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त में विधानसभा के बदले इस विषय में निर्णय जनमत द्वारा लिया जायेगा।

i) असम के सिलहट जिले में निर्णय जनता पर छोड़ा गया कि वहां की जनता असम के साथ रहना चाहती है अथवा पूर्वी बंगाल के साथ।

(vii) देशी राज्यों के संबंध में ~~मंत्रीमंडल~~ मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित योजना लागू होगी।

(viii) यदि मुस्लिम-बहुल क्षेत्र देश के विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जायेगी।

(ix) ब्रिटिश सरकार 1948 ई० तक सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी, वरन् 1947 ई० तक ही अपना कार्य समाप्त कर देना चाहती है।

माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद में पेश की गई और 16 जुलाई, 1947 ई० को उसे पारित कर दिया गया।

माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया क्योंकि उसे पाकिस्तान मिल रहा था। इस प्रकार माउंटबेटन योजना भारत-विभाजन के आधार पर लागू की गई।

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसे देश विभाजन की अंग्रेजों की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली।